| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

## आदेश

## विविध वाद संख्या– 21/2018–19

**धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता**

**बिनोद विश्वकर्मा वगैरह ..................... प्रथम पक्ष**

**बनाम**

**गोवर्धन मिस्त्री वगैरह ................................द्वितीय पक्ष**

**04.10.2018**

यह प्रक्रिया आवेदक 1. बिनोद विश्वकर्मा 2. बिजय विश्वकर्मा 3. संजय विश्वकर्मा तीनो के पिता– स्व0 गनौरी विश्वकर्मा, 4. बैजू विश्वकर्मा 5. सरकार विश्वकर्मा 6. रामपृत विश्वकर्मा तीनो के पिता– स्व0 अंतु विश्वकर्मा 7. कमलेश विश्वकर्मा पिता– सुरेश विश्वकर्मा सभी ग्राम– मुनकेरी, टोला– नेउरीबार, पो0– मुनकेरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू ने 1. गोवर्धन मिस्त्री 2. सुवर्धन मिस्त्री 3. विश्वनाथ मिस्त्री उर्फ विश्वकर्मा तीनो के पिता– महंग मिस्त्री उर्फ विश्वकर्मा 4. रामप्यारी मिस्त्री 5. नरेश मिस्त्री 6. अमेरिका मिस्त्री तीनो के पिता– सुखलाल मिस्त्री 7. फंगु मिस्त्री पिता– प्रताप मिस्त्री 8. यमुना मिस्त्री 9. भोला मिस्त्री 10. नगीना मिस्त्री तीनो के पिता– स्व0 वालकेश मिस्त्री उर्फ विश्वकर्मा 11. जान्की मिस्त्री 12. बिर्जा मिस्त्री 13. बृज मिस्त्री तीनो के पिता – स्व0 चनारीक मिस्त्री 14. रामबृक्ष मिस्त्री पिता– स्व0

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| | प्रमेश्वर मिस्त्री 15. जयंति देवी पति– रमेश विश्वकर्मा 16. बिमला देवी पति– जितेन्द्र विश्वकर्मा 17. जितेन्द्र विश्वकर्मा सभी ग्राम– मुनकेरी, टोला– नेउरीबार, पो0– मुनकेरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र के अवलोकन एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने से संतुष्ट होकर विवादी भूमि पर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को वाद भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारन पृच्छा की मांग की गयी। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– मौजा– मुनकेरी, खाता सं0– 38, प्लॉट सं0– 955, रकबा– 1.00 एकड़ में से 0.50 एकड़, चौहद्दी, उतर– प्रसाद मिस्त्री, दक्षिण– जंगल झाड़ी, पूरब– आमी साव, पश्चिम– आमी साव।<br>प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि वाद भूमि प्रथम पक्ष के लोगों की पैतृक भूमि है जिसका खाता सं0– 38, | |

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | प्लॉट सं0— 655 कुल रकबा— 1.00 एकड़ का आधा 0.50 एकड़ पूरब तरफ ग्राम— मुनकेरी, टोला— नेउरीबार, थाना— छत्तरपुर, जिला— पलामू की भूमि पर द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा नजायज मजमा बनाकर एक राय से तीन शौचालय के निव खोदते हुए चार फीट का दिवार उठा लिया गया है जिसका विरोध करने पर हिंसक कार्रवाई का धमकी दिया जाता है। वाद भूमि प्रथम पक्ष वंशज रामशरण मिस्त्री के नाम से खतियान दर्ज है जिसपर उनके वंशज वर्ष 1908 के पूर्व से ही जोत— कोड़ करते हुए अपने परिवार का भरण—पोषण करते आ रहे हैं तथा उक्त भूमि का लगान भर कर सरकारी लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के रामवृक्ष मिस्त्री बा—जबरजस्ती इसी खाता सं0— 39, प्लॉट सं0— 1012 एवं 1037 है। टाइटल सूट सं0— 121/2012 के लंबित रहने की अवधी में ही अपने पुत्रवधु जयंती देवी जौजे रमेश विश्वकर्मा के नाम से एवं भतिजी विमला देवी जौजे जितेंद्र विश्वकर्मा के नाम से लगभग 88 डी0 भूमि निबंधित केवाला कर दिये हैं। | |

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि यह वाद मौजा— मुनकेरी, थाना छत्तरपुर के खाता सं0— 38, प्लॉट सं0— 955, रकबा— 0.50 एकड़ पर यह वाद दायर किया गया है। वाद भूमि खतियानी भूमि है तथा खतियान शिवबालक मिस्त्री, रामशरण मिस्त्री, जगदेव मिस्त्री, पाँचू मिस्त्री एवं प्रताप मिस्त्री पिता— विशुणधारी मिस्त्री के नाम से कुल रकबा— 19.38 एकड़ है, जिसमें इसी खतियान के प्लॉट सं0— 955 का कुल रकबा— 1 एकड़ है जिसमें 1/5 हिस्से का सभी खतियानी रैयत हकदार हैं, वहीं प्रथम पक्ष द्वारा 0.50 एकड़ पर किया गया मुकदमा निराधार एवं गलत है। सभी रैयत को करीब 50 वर्ष पूर्व आपस में बटवारा हो चुका है जिसपर सभी हिस्सेदार का कच्चा आवासीय मकान अवस्थित है तथा सभी पक्षकार इसी घर में निवास करते हैं। द्वितीय पक्ष द्वार अपने हिस्से में प्राप्त भूमि में बने कच्चा मकान के बगल में खाली भूमि पर मकान निर्माण हेतु 10 फीट ऊँची दीवार का निर्माण किया गया है जो इस विन्दु पर कानून के नजर मे यह वाद खारिज के योग्य है। प्रथम पक्ष |

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | के द्वारा इसी मकान एवं दीवार का छुपाकर धारा 144 दं0प्र0सं0 कि प्रकिया कायम कराई गयी है जो सत्य से परे एवं निराधार है। द्वितीय पक्ष का उक्त खतियानी भूमि के सहयोग में जमीन्दारी रसीद सरकारी रसीद भी प्राप्त किया गया है जो गोवर्धन मिस्त्री वगैरह पिता— महंग मिस्त्री द्वितीय पक्ष नं0—2, सुखलाल मिस्त्री वगैरह पिता— प्रताप मिस्त्री, रामप्यारे मिस्त्री, नरेश मिस्त्री, अमारिक मिस्त्री द्वितीय पक्ष नं0— 3, झंगु मिस्त्री पिता— प्रताप मिस्त्री वगैरह के नाम से निर्गत है। प्रथम पक्ष के द्वारा इसी खतियानी भूमि पर हिस्सा बटवारा को लेकर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध माननीय न्यायालय सिनीयर सिविल जज प्रथम श्रेणी डालटनगंज में खाता सं0— 38, प्लॉट सं0— 955, रकबा— 1 एकड़ एवं सम्पूर्ण रकबा पर टाइटल सूट सं0— 121/2012 लाया गया है जो अभी चल रहा है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का निवेदन है उक भूमि पर वर्तमान में सक्षम न्यायालय में मामल लंबित है ऐसी स्थिति में यह वाद खारिज के योग्य है।<br><br>प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन | |

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | में टाईटल सूट सं0-121/2012 के आवेदन पत्र की छायाप्रति सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति की छायाप्रति एवं गत सर्वे खतियान की छायाप्रति समर्पित किया गया है। |
| | द्वतीय पक्ष के द्वरा अपने दावे के समर्थन में टाईटल सूट सं0-121/2012 के आवेदन पत्र एवं आदेश फलक की छायाप्रति, उपायुक्त पलामू के -न्यायालय द्वारा विविध रिविजन वाद सं0- XV-21/2008-09 में पारित आदेश की छायाप्रति, जमीन्दारी लगान रसीद की छायाप्रति, सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति, निबंधित केवाला सं0- 1182 दिनांक 09.05.1941 की नकल की छायाप्रति एवं गत सर्वे खतियान की छायाप्रति समर्पित किया गया है। |
| | उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोप्रांत ज्ञात होता है वाद भूमि से संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधिन है ऐसी स्थिति में वाद भूमि पर इस न्यायालय के द्वारा कोई भी |

(5)



| ...ेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | आदेश पारित करना न्यायहित में नहीं है। अतः इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>5.10.18<br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।<br><br>5.10.18<br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। | |

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:46:23 +05:30
Location: 192.168.1.13